सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 02, बुधवार, *शाके* 1947- सितम्बर 24, 2025 Asvina 02, Wednesday, Saka 1947- September 24, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(खण्ड-नीमकाथाना)

अधिसूचना

नीमका थाना, सितम्बर 03, 2025

[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]

RAJKAJ 17532135 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **सीकर जिले की पाटन तहसील में राज्य राजमार्ग संख्या-37बी के नीमकाथाना से कोटपुतली खण्ड (38 कि.मी.) के 2-लेन से 4-लेन सड़क निर्माण परियोजना अन्तर्गत हसामपुर एवं डोकन बाईपास सड़क निर्माण** प्रयोजनार्थ निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.सं.	जिला	तहसील	राजस्व ग्राम का नाम
1	सीकर	पाटन	हसामपुर
2			छाजा की नांगल
3			बोपिया
4			डोकन

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड़-नीमकाथाना द्वारा एजेन्सी का चयन कर करवाया जायेगा। चयनित एजेन्सी द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांव में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड-नीमकाथाना (राजस्थान) 332713
फोन नं. +91-97993-74717
ई-मेलः eednnkt@gmail.com

आदेश द्वारा,
आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ)
सा.नि.विभाग, राजस्थान जयपूर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।